विकास आयुक्त कार्यालय
SRLM प्रकोष्ठ
विकास भवन, द्वितीय तल, सेक्टर–19,
नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(Ph.No. 0771-2512395, 0771-2512393, E-mail – mdsrlm.cg@gov.in, www.bihan.gov.in)

File No. ESTB/1107/2025-SECTION CGSRLM   नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक   /02/2026

//विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति 'बिहान' के अंतर्गत जिला कार्यालय में संविदा के नवीन एवं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट **www.bihan.gov.in** में आमंत्रित किये जाते है।

जिला स्तरीय पदों के पदवार रोस्टर आरक्षण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	वर्ग/श्रेणी												
		अना.			अ.पि.व.			अ.जा.			अ.ज.जा.			कुल
		मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	
राज्य स्तरीय पद														
1.	लेखापाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
जिला स्तरीय पद														
1.	जिला मिशन प्रबंधक	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**
2.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (आजीविका)	2	2	1 (OA)	4	1	0	3	1	0	6	3	1 (OL)	**24**
3.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (वित्तीय समावेशन)	2	1	1 (OA)	4	1	0	3	1	0	6	3	1 (OL)	**23**
4.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	**3**
5.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एस.एम.आई.बी.)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	**3**
6.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**
	कुल	**4**	**3**	**2**	**12**	**2**	**0**	**6**	**2**	**0**	**19**	**6**	**2**	**58**

राज्य स्तरीय पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं मेरिट अंक का विवरण–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
1.	लेखापाल	23,350 (लेवल 6)	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। **वांछनीय योग्यता**– टेली सर्टीफिकेट वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। **अनुभव** – स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा	10

जिला स्तरीय पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं मेरिट अंक का विवरण–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100) विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
1.	जिला मिशन प्रबंधक	60,960	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से द्विवर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा। **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 05 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/ लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/ गरीबी उन्मूलन /आजीवका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				प्रेजेंटेशन/कौशल/लिखित परीक्षा	05
				साक्षात्कार	15
2.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक–आजीविका	51,780	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि/ द्विवर्षीय डिप्लोमा। **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 04 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/ लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/ गरीबी उन्मूलन/आजीवका संबंधित क्षेत्र में आजीविका का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				प्रेजेंटेशन/कौशल/लिखित परीक्षा	05
				साक्षात्कार	15
3.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक–वित्तीय समावेशन	51,780	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि/ द्विवर्षीय डिप्लोमा। **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 04 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/ लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/ गरीबी उन्मूलन/आजीवका संबंधित क्षेत्र में वित्तीय समावेशन का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				प्रेजेंटेशन/कौशल/लिखित परीक्षा	05
				साक्षात्कार	15

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th rowspan="2">पदनाम</th><th rowspan="2">एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)</th><th rowspan="2">शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव</th><th colspan="2">मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)</th></tr>
<tr><th>विवरण</th><th>अंक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4.</td><td rowspan="7">जिला कार्यक्रम प्रबंधक –वित्तीय प्रबंधन</td><td rowspan="7">51,780</td><td rowspan="7">शिक्षा – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से वाणिज्य/एम.बी.ए. (वित्त)/आई.सी.डब्ल्यू.ए. इंटर/सी.ए. इंटर में स्नातकोत्तर उपाधि/ द्विवर्षीय डिप्लोमा।
अनुभव – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 04 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/ लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/ गरीबी उन्मूलन/आजीवका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।</td><td>स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>30</td></tr>
<tr><td>स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>20</td></tr>
<tr><td>बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>15</td></tr>
<tr><td>न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक</td><td>10</td></tr>
<tr><td>छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक</td><td>05</td></tr>
<tr><td>प्रेजेंटेशन/कौशल/लिखित परीक्षा</td><td>05</td></tr>
<tr><td>साक्षात्कार</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="7">5.</td><td rowspan="7">जिला कार्यक्रम प्रबंधक –एस.एम. आई.बी.</td><td rowspan="7">51,780</td><td rowspan="7">शिक्षा – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि/ द्विवर्षीय डिप्लोमा।
अनुभव – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 04 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/ लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/ गरीबी उन्मूलन/आजीवका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।</td><td>स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>30</td></tr>
<tr><td>स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>20</td></tr>
<tr><td>बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>15</td></tr>
<tr><td>न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक</td><td>10</td></tr>
<tr><td>छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक</td><td>05</td></tr>
<tr><td>प्रेजेंटेशन/कौशल/लिखित परीक्षा</td><td>05</td></tr>
<tr><td>साक्षात्कार</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="7">6.</td><td rowspan="7">जिला कार्यक्रम प्रबंधक– मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण</td><td rowspan="7">51,780</td><td rowspan="7">शिक्षा – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से एम.बी.ए. (मानव संसाधन) /एम.एस.डब्ल्यू./ग्रामीण विकास/ ग्रामीण तकनीकी/ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि/द्विवर्षीय डिप्लोमा।
अनुभव – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 04 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/ लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/ गरीबी उन्मूलन/आजीवका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।</td><td>स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>30</td></tr>
<tr><td>स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>20</td></tr>
<tr><td>बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए</td><td>15</td></tr>
<tr><td>न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक</td><td>10</td></tr>
<tr><td>छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक</td><td>05</td></tr>
<tr><td>प्रेजेंटेशन/कौशल/लिखित परीक्षा</td><td>05</td></tr>
<tr><td>साक्षात्कार</td><td>15</td></tr>
</table>

नियम एवं शर्तेः–

1. आवेदन सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। ऑनलाईन आवेदन के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. **ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक 25/02/2026 से वेबसाईट www.bihan.gov.in में दिनांक 17/03/2026 को सायं 05:30 बजे तक खुले रहेंगे।**
3. रिक्त पदों के लिये के पदवार अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
4. राज्य स्तर के लेखापाल पद हेतु आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
5. जिला स्तर के जिला मिशन प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद पर आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम सीमा 55 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
6. **सभी पदों के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।**
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
8. ऑनलाईन में प्रविष्ट की गई सभी जानकारी की दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अंकसूची आदि को अधिकतम 04MB साईज में स्केन कर पी.डी.एफ. फॉरमेट अपलोड करें एवं साक्षात्कार के दौरान मूल प्रति के साथ–साथ छायाप्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक– 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
11. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
13. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
14. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
15. अनुभव प्रमाण–पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र के प्रासंगिक अनुभव ही मान्य होंगे। पद से संबंधित प्रासंगिक अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा– जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर–शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 03 माह प्रमाणित पे–स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय समिति के पास होगा।

17. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यानुभव रखने वाले अमले को अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक प्रदाय किया जावेगा।
18. शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के अंक के आधार पर प्रथमतया पात्र आवेदक दस्तावेज परीक्षण के दौरान ऑनलाईन में प्रविष्ट की गई सभी जानकारी की दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अंकसूची आदि की मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।
20. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
21. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
22. आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम पर प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा।
23. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
24. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
25. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।
26. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
27. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
28. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
29. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' की वेबसाइट www.bihan.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।
30. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
31. उपरोक्त मांगी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर प्रक्रिया के दौरान/चयन पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
32. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता राज्य मिशन संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

Digitally signed by
ASHWANI DEWANGAN
Date: 23-02-2026
11:49:32

मिशन संचालक, SRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़